

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राज्यपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06042025-262322  
SG-DL-E-06042025-262322

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]  
No. 108]

दिल्ली, रविवार, अप्रैल 6, 2025/चैत्र 16, 1947  
DELHI, SUNDAY, APRIL 6, 2025/CHAITRA 16, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 6  
[N. C. T. D. No. 6

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला और बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अप्रैल, 2025

फा. सं. 61(2033)/सीडब्ल्यूसीऔरजेपीकीनियुक्ति/DD (सीपीयू)/DWCD/2023/66-107.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा 1 और धारा 2 की उपधारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 (2023 में यथा संशोधित) की धारा 45 (घ) के तहत प्रदत्त भारत के माननीय राष्ट्रपति का अनुमोदन जो गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-14011/23/2024-दिल्ली-I दिनांक 05.04.2025 द्वारा सूचित किया गया है, माननीय उप- राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्तियां किशोर न्याय बोर्ड्स के सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर तत्काल प्रभाव से आदेशित करते हैं:-

क्रम संख्या	नाम
01	रीतू मेहरा
02	पूर्णिमा रानी पांडा
03	प्रवीण कुमार झा
04	पूनम उपाध्याय
05	चंद्र सुमन कुमार

06	शेली त्यागी
07	रीता दरीरा
08	दीप्ति दत्त शर्मा
09	दीप्ति यादव
10	रेनूका कुमार
11	रूप सुदेश विमल
12	प्रिया सिंह

बोर्डर्स के लिए चयनित सभी सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 द्वारा प्रदत सभी शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों हेतु करेंगे तथा उन के पद की अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों तक होगी।

चंचल यादव, आईएएस सचिव

महिला और बाल विकास विभाग, जीएनसीटीडी

## DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 5th April, 2025

**F.No. 61(2033)/Appointment of CWC's & JJB's/DD (CPU)/DWCD/2023/66-107.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 read with sub-section 59 of Section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and with the approval of the Hon'ble President accorded under Section 45 (D) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (amended in 2023) conveyed by Ministry of Home Affairs' letter No14011/23/2024-Delhi-1Dated 05.04.2025, the Hon'ble Lt. Governor, GNCTD hereby makes the following appointments for the post of Member Social Workers in Juvenile Justice Boards with immediate effect :-

S. No	Name
01	Reetu Mehra
02	Purnima Rani Panda
03	Praveen Kumar Jha
04	Poonam Upadhyay
05	Chandra Suman Kumar
06	Shelly Tyagi
07	Rita Darira
08	Deepti Dutt Sharma
09	Deepti Yadav
10	Renuka Kumar
11	Roop Sudesh Vimal
12	Priya Singh

The aforesaid Member Social Workers of Juvenile Justice Boards shall exercise the powers and discharge their duties conferred on such Boards in relation to children in conflict with law in accordance with the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 in the National Capital Territory of Delhi. The duration of their appointment will be for a period of three years w.e.f the date of this notification.

CHANCHAL YADAV, IAS Secy.  
Department of Women and Child Development, GNCTD